न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

वईजलास – श्री धर्मराज गुर्जर, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 13/2021
दायर दिनांक :– 25.01.2021

अनवान

स्वास्तिक माईन्स एण्ड मिनरल्स, आमेट, जरिये भागीदार श्री राजेन्द्र सिंह पालावत आत्मज श्री घनश्याम सिंह पालावत नि. गुजुकी, जिला अलवर

प्रार्थी.........

वनाम

1. तहसीलदार जहाजपुर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा
2. नायब तहसीलदार पण्डेर तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री एस. एस. चारण, एडवोकेट प्रार्थी,

:: आदेश :: दिनांक 05.02.2021

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम जामोली प. ह. जामोली तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 264, 1730/1707, 1743/1707, 1707/264 का भाग व अन्य आराजियात प्रार्थी के खनन पट्टा क्षेत्र में मुझ प्रार्थी की आ.न. 1707/264 में से होकर अपने खनन क्षेत्र में आता हैं। आ.न. 1707/264 का कुछ भाग मुझ प्रार्थी के खनन क्षेत्र में भी आता हैं प्रार्थी अपने खनन पट्टा क्षेत्र मे जो मुख्य पिट आ.न. 1743/1707, 1730/1707 मे आने जाने के लिये मौके पर रास्ता आ. न सं. 1707/264 में से होकर प्रार्थी के खनन क्षेत्र में आने वाली उक्त खसरा सं. 1707/264 के शेष भाग में प्रवेश कर आ. सं. 1743/1707 व आ. सं. 1730/1707 में प्रवेश करता हैं जो खनन पट्टा क्षेत्र स्वीकृत होने से पहले ही स्थित है। इसका प्रार्थी निरन्तर उपयोग व उपभोग कर रहा है। उक्त मार्ग आराजी नं. 1707/264 में स्थित है। मुझ प्रार्थी के उपयोग में आने वाला मार्ग आ. सं. 264/23, 1706/264 एंव आ.नं. 264/48, 264/41 के बीच में स्थित सरकारी भूमि ... 1707/264 मे से होकर प्रार्थी के खनन क्षेत्र में आने वाली भूमि 1707/264 ... खनन पट्टा क्षेत्र में ही जाता हैं कुछ व्यक्तियो द्वारा प्रार्थी के उक्त मार्ग को अवरुद्ध किया गया जिस पर तहसीलदार साहब जहाजपुर को प्रेषित किया गया ... तहसीलदार साहब द्वारा दल ने जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिससे भी मार्ग की पुष्टि होती है। प्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharmraj Gurjar
Date: 2021.03.23 11:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत किये जा रहे नजरी नक्शे में जो मार्ग दर्शाया जा रहा हैं वह मार्ग श्रीमान के आदेश दिनांक 25.09.20 से धारा 131, 132 में निर्णय पारित किया गया जिसमें रास्ता स्वीकृत कर दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। श्रीमान ने जो रास्ता स्वीकृत किया हैं उसी में से शाखा के रूप में प्रार्थी के लिये आ.न. 268/48, 261/41, 264/54, मध्य जो आ. सं. 707/264 को चो भाग जो खनन क्षेत्र के अतिरिक्त हैं, को प्रार्थी के लिये रास्तो के रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है। उक्त रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म अप्रार्थीगण को प्रदान करावे व रास्ता की भुमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित भूमि पर आने जाने के लिये प्रार्थना पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित रास्ते की भुमि को राजस्व अभिलेख में रास्ते की किस्म में दर्ज कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 1743/1707 में कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही के संबध में तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र कमांक/राजस्व/2021/227 दिनांक 03.02.2021 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 1743/1707 में आने जाने हेतु ख. न. 1707/264 में से रास्ता चाहते है। प्रार्थी के आ.न. 1743/1707 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। सुगम व सही रास्ता आ.न. 1707/264 में से ही संभव है। यह आराजी बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। जिससे आ.न. 1707/264 में से रकबा 0.08 बीघा रास्ता दिया जाना उचित है। जिसे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम जामोली प. ह. जामोली तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 1743/1707 में आने जाने के लिये रास्ता आ. न. 1707/264 में से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। आ.न. 1707/264 में से रकबा 0.08 बीघा भुमि रास्ता हेतु प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा आ.न. 1707/264 में से रकबा 0.08 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 26500 रू. छब्बीस हजार पॉच सौ रू. बनते हैं जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dharmraj Gurjar
Date: 2021.03.23 11:57:33 IST
Reason: SelfAttested

(धर्मराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner